न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम सुगराव लाल

नाम न्यायालय

केस संख्या 107/22 धा.५:

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	28/8/2024	पत्रावली आज दिनांक 28/8/2024 को पेश हुई। [illegible] एड. बार एसो. जयपुर [illegible] जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/8/24 को पेश हो।	
	30/8/24	[illegible] पेश हुई। प. फ. उप. पत्रावली [illegible] अनुसार अ. 19/9/24 को [illegible]	
	19/9/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4, 2, 3, 5, 6, 8, 14 ता 18, 20 ता 24, 9, 13, 11, 25, 4/2, 4/4, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10/1 ता 10/2, 10/3 स्वयं व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित हैं आ. ता. पेशी पर अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 24/9/24 को पेश हो। सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
	24/9/2024	पत्रावली आज दिनांक 24/9/24 को पेश हुई। पीठासीन अ[illegible] आज अवकाश पर है, पत्रा[illegible]सार दिनांक 8/10/2024 को पेश हो।	
	8/10/24	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/10/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	17/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता प्र[illegible] उपस्थित। अप्रार्थी संख्या [illegible] 8, 14 ता 18, 20 ता 24, 9, [illegible], 11, 25, 4/2, 4/4, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 10/1 ता 10/2, 10/3 अनुपस्थित हैं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:16:27 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम उमराव

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

केस संख्या 107/2022 प्र.प.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष
		अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थीगण बिना बँटवारा हुये विवादित आराजी का बेचान करने पर उतारू है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। चूंकि वाद बंटवारे का है यदि विशिष्ट भू-भाग का बेचान किया जाता है प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है अतः उपयह के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वाके ग्राम टाडावास, तहसील जालसू के ख.नं. 310, 311, 312/1020, 389, 389/1043, 390, 390/1044, 406/1163 कुल किता 8 कुल रकबा 5.300 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड को यथा स्थिति [illegible] के निस्तारण तक बनाये रखें। पत्रावली [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:16:27 IST
Reason: SelfAttested